



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Karnal **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 **Date (दिनांक):** 15/07/2026
16:13

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**
Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/07/2026 **Time (समय):** 15:27 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Time (समय):** 15/07/2026 15:27 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-WEST, Beat No. (बीट सं.): 2.5 Km(s)
- (b) Address (पता): आयकर विभाग करनाल,
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): रामगोपाल
- (b) Father's Name (पिताका नाम): श्री साहब सिंह
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982
- (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) Occupation (व्यवसाय):

- (h) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गाँव सिंघाना, SAFIDON, JIND, HARYANA, INDIA



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

2	Permanent Address	गाँव सिंघाना, SAFIDON, JIND, HARYANA, INDIA
---	-------------------	---

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	नवीन सहायक		
2	सुदेश निरीक्षक		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

सेवा मे, इन्सपैक्टर विजिलैन्स करनाल श्रीमान जी मै रामगोपाल सुपुत्र श्री साहब सिंह गाँव सिंघाना तह0 सफीदो जिला जीन्द (हरियाणा) का रहने वाला हूँ। यह है कि मेरी किसी ने आयकर विभाग करनाल मे शिकायत दी हुई है जिस बारे मे मेरे को कर्मचारी नवीन व सुदेश निरीक्षक आयकर विभाग करनाल ने फोन के माध्यम से अपने आयकर विभाग कार्यालय मे बुलाया था । और मेरे को कहा कि तेरी शिकायत आई हुई है तुने जमीन खरीद रखी है जिसका रेट सत्र लाख रुपये है और मार्किट वैल्यु और ज्यादा है तेरे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स पड जायेगा और तेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी । तेरे को बहुत नुक्सान होगा निरीक्षक सुदेश ने कहा कि तेरे मामले को ऐसे ही निपटा देंगे यदि कुछ खर्ची पानी करेगा तो मैने पूछा क्या करना होगा तो निरीक्षक सुदेश ने कहा कि बीस हजार रुपये लगेंगे और मेरे सहायक नवीन से बात कर लेना जिसके कहने पर मैने नवीन सहायक कर्मचारी से बात की तो नवीन कर्मचारी कहने लगा कि तू बीस हजार रुपये दे दे तेरे खिलाफ जो शिकायत आई है निरीक्षक सुदेश उस शिकायत को तेरे सामने ही फाड देगा। फिर मैने नवीन सहायक को पैसे कम करने के बारे मे कहा तो नवीन सहायक ने सुदेश निरीक्षक से बात करके चौदह हजार रुपये मे राजी हुआ। जिसमे दस हजार रुपये निरीक्षक सुदेश के है। और चार हजार रुपये सहायक नवीन कर्मचारी के है। चार हजार रुपए नवीन कर्मचारी पहले ही ले चुका है आज दस हजार रुपए रिश्त लेकर नवीन कर्मचारी व सुदेश निरीक्षक ने मेरे को बुलाया है जिनको मै दस हजार रुपये रिश्त के ना देकर इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ मैने रिश्त राशि मांगने बारे रिकार्डिंग की हुई है जो बाद मे पेश कर दूँगा। इन दोनो नवीन सहायक व निरीक्षक सुदेश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। Sd Ramgopal
रामगोपाल सुपुत्र श्री साहब सिंह गाँव-सिंघाना तह0 सफीदों जिला-जीन्द (हरियाणा) मो0 98139-64151
दिनांक 15-07-2026

कार्यावाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक मय SI सतपाल न0 197/KNL, ASI बलिष्ठर न0 165/PPT, HC कुलदीप सिंह न0 776/RTK, HC बलदेव सिंह न0 126/AMB, Ct गौरव न0 134/KKR बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR-03GV-5750 जिसका चालक EHC अनुप न0 1686/RTK मय गाडी प्राईवेट के बराये कार सरकार नजदीक निर्मल कुटिया चौक करनाल मौजूद हूँ कि कार्यालय से बजरिया फोन सूचना प्राप्त हुई और शिकायतकर्ता के मोबाईल न0 देकर कहा कि इस नम्बर 98139-64151 पर सम्पर्क करके मिलने बारे कहा। जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से बजरिया फोन सम्पर्क किया और शिकायतकर्ता मन निरीक्षक को निर्मल कुटिया के नजदीक मुलाकी हुआ। जिसने रेड करवाने बारे बतलाया जिसने एक हस्तलिखित दरखास्त बर खिलाफ नवीन व निरीक्षक सुदेश आयकर विभाग करनाल, रिश्त की मांग



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

करने बारे मन निरीक्षक को पेश की और साथ में 10,000/- रुपये जो रिश्त में दिये जाने हैं पेश किये । मन निरीक्षक के द्वारा दरखास्त के सम्बन्ध में हालात पुलिस अधीक्षक महोदय को बजरिया मोबाईल बतलाये गये, जिन्होंने दरखास्त पर तुरन्त उचित कार्यवाही करने बारे कहा। मन निरीक्षक के द्वारा स्वतन्त्र गवाह नियुक्त करने बारे निवेदन किया तो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा श्री मोहित राठी ATP पानीपत को स्वतन्त्र गवाह नियुक्त करके छाया गवाह अपने स्तर पर लाने बारे आदेश व्टसअप के माध्यम से भिजवाये। मन निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह से सम्पर्क करके और हालात से अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश बारे बतलाया और मौका पर आने बारे आग्रह किया । मन निरीक्षक द्वारा रिश्त राशि 10,000/- रुपये की सूची करंसी नोट नम्बरी तैयार की गई । दरखास्त के मजबुन से सुरत जुर्म जेर धारा 7,7A PC Act 1988 का घटित होना पाया जाने पर तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त सि० गौरव न० 134/KKR के अरसाल थाना है बाद कायमी अभियोग, पर्चा नम्बर से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट करनाल व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जाये। मन निरीक्षक दर इन्तजार स्वतन्त्र गवाह के हैं। तफतीशी बैग, लैपटोप, प्रिन्टर हमरा हैं। अज:- नजदीक निर्मल कुटिया चौक करनाल । Sd Nirmal निरीक्षक, रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, करनाल दि० 15-7-26 At 1-30Pm

अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 15 दिनांक 15.07.2026 U/S 7,7A PC ACT, 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्युटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब करनाल को बजरिया/ई-मेल सुचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा सिपाही गौरव न० 134/KKR के हवाले की जाकर रवाना निजद अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सन्जीव कुमार न० 944/SPT थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है

- 13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

NIRMAL SINGH

No. (सं.): 12345 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 918813088444

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या) District (ज़िला):

(4) Transferred to P.S. (थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PARVEEN KUMARI

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 395PPT



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				Is pox pitted: Yes
2	Male	1986				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)